Phone : 23710519
Fax : (91-11) 23730937, 23730682
E-mail : cvo@csir.res.in

CSIR
The Innovation Engine of India

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्

अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001

COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001

संख्या
No. 15-1(44)/72-Vig.

दिनांक: 02 जनवरी, 2024

प्रेषक
From

मुख्य सतर्कता अधिकारी
Chief Vigilance Officer

To

राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थाओं के निदेशक/प्रमुख

विषय: राजपत्रित अधिकारियों के समकक्ष पदों पर आसीन संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले परिषद कर्मचारियों की सूची तैयार करने, उसका रख रखाव करने व उसकी अभिरक्षा हेतु स्कीम – 31 दिसम्बर, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु रिपोर्ट।

महोदय / महोदया,

मुझे गृह मंत्रालय के उपर्युक्त विषयक दिनांक 28.10.1969 के पत्रांक 105/1/66-ए-ए वी डी के सन्दर्भ में यह कहना है कि वर्ष 2023 हेतु राजपत्रित अधिकारियों के समकक्ष पदों पर आसीन संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले परिषद कर्मचारियों की सूची सी बी आई को दी जानी है। उक्त पत्र में यथा अनुबद्ध ऐसे अधिकारियों को जो निम्नांकित श्रेणियों में से किसी भी एक श्रेणी के अंतर्गत आते हों, इस सूची में शामिल किया जाए।

1) जो सत्यनिष्ठा संबंधी आरोप में अथवा नैतिक अधमता युक्त अपराध के लिए न्यायलय में दोषी ठहराये गए हैं परन्तु जिन पर आपवादिक परिस्थितियों के मद्देनजर बर्खास्तगी, निष्कासन, अनिवार्य सेवानिवृत को छोड़ कर अन्य दंड लगाया जाना है।
2) जिन्हें सत्यनिष्ठा के अभाव के आरोप में अथवा सरकार (सी एस आई आर) के हितों के संरक्षण में कर्त्तव्य की घोर अवहेलना के लिए एक बड़ा दण्ड दिया गया है भले ही भ्रष्ट मंशा का प्रमाण प्राप्त न हो सका हो।
3) जिनके विरुद्ध सत्यनिष्ठा के अभाव या नैतिक अधमता युक्त कथित कृत्यों के लिए बड़े दण्ड की कार्यवाहियां अथवा अदालती मुकदमें चल रहे हैं।
4) जिन लोगों पर मुकदमा चलाया गया किन्तु तकनीकी आधार पर वे दोष मुक्त हो गए और जिनके मामले में मुकदमें के दौरान सबूत के आधार पर उनकी सत्यनिष्ठा के खिलाफ एक उचित संदेह बना हुआ है।

अपनी प्रयोगशाला / संस्थान के सन्दर्भ में 31 दिसम्बर, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु उपर्युक्त के आधार पर तैयार की गई सूची, अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 22.01.2024 तक अनिवार्य रूप से भेजने का कष्ट करें।

कृपया इसे अति आवश्यक समझा जाए।

भवदीय,

रूप किशोर 02.01.24

(रूप किशोर)
मुख्य सतर्कता अधिकारी

प्रतिलिपि:
1. वरिष्ठ उप सचिव (एच आर)/ उप सचिव (सी ओ) : आवश्यक कार्रवाई हेतु
2. सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग, सी एस आई आर मुख्यालय : सी एस आई आर की वेबसाइट पर प्रस्तुत करने हेतु
3. प्रयोगशालाओं / संस्थानों के वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक / वरिष्ठ उप सचिव / प्रशासन नियंत्रक / उप सचिव / प्रशासनिक अधिकारी